

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 348968 ग्रा०वि०,
ग्रा०वि०-10/बजट- 06/2017

पटना, दिनांक:- 17.01.18

प्रेषक,

राधा किशोर झा,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
शिवहर, मुंगेर, सारण, कटिहार, पूर्णियां, पूर्वी चम्पारण एवं दरभंगा ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में "बजट शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-0001-प्रखंड स्थापना" के अंतर्गत राशि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार कुल रूपये 16,07,76,000 (सोलह करोड़ सात लाख छिहत्तर हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है ।

2) यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 दिनांक 17.04.1998, 428 दिनांक 31.03.17 एवं 3002 दिनांक 26.04.17 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

3) प्रखंड स्थापना को छोड़कर अन्य किसी स्थापना अर्थात जिला / नजारत / अनुमंडल स्थापना के लिए इस शीर्ष में आवंटित राशि का उपावंटन नहीं किया जाय और आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जांच पड़ताल के बाद ही की जाय । यदि कोई छदमपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

4) शिवहर जिला को चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में आवंटित राशि उप विकास आयुक्त, शिवहर के पत्रांक 1444 दिनांक 05.12.17 एवं पूर्वी चम्पारण जिला को चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद आवंटित राशि उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक 89 दिनांक 15.12.17 के आलोक में आवंटित की जा रही है ।

5) माननीय न्यायालय से संबंधित आदेश के कार्यान्वयन में सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार पर आवंटित राशि का व्यय किया जाय तदोपरान्त नियमित वेतन का भुगतान पर व्यय किया जाय । न्यायालय संबंधी आदेश के कार्यान्वयन में शिथिलता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे ।

6) कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके ।

7) वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके । इस आवंटन के विरुद्ध वास्तविक व्यय का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान किया जाय ताकि विभागीय आंकड़ों एवं महालेखाकार के आंकड़ों में भिन्नता न हो ।

8) किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः सतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाय । तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी ।

9) इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है ।

10) आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव की सहमति प्राप्त है ।

11) इसकी मांग संख्या 42 एवं विपत्र कोड संख्या 42-2515001020001 है ।

12) इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

(राधा किशोर झा)

सरकार के विशेष सचिव

जापांक:- 348968 गा.वि.वि., पटना, दिनांक:- 17-01-18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी / आई० टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव


ग्रामीण विकास विभाग

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-

सामुदायिक विकास-0001-प्रखंड स्थापना के अंतर्गत राशि का आवंटन

क्र०	जिला	01 01 वेतन	01 03 जीवन यापन भत्ता	01 04 मकान किराया भत्ता	01 06 चिकित्सा भत्ता	01 07 अन्य भत्ता	योग	06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	कुल योग	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	शिवहर	5000000	5800000	1000000	1000000	0	110000000	147900	11147900	(एक करोड़ न्याह लाख सैतालीस हजार नौ सौ रुपये)
2	मुंगेर	6000000	8500000	1000000	1000000	300000	150000000	0	150000000	(एक करोड़ पचास लाख रुपये)
3	सारण	17000000	25500000	1000000	1000000	300000	430000000	0	430000000	(चार करोड़ तीस लाख रुपये)
4	कटिहार	13000000	19000000	1000000	2000000	200000	325000000	0	325000000	(तीन करोड़ पचचीस लाख रुपये)
5	पूर्णिया	11000000	14000000	0	0	0	250000000	0	250000000	(दो करोड़ पचास लाख रुपये)
6	पु० चम्पारण	0	0	0	0	0	0	128100	128100	(एक लाख अठईस हजार एक सौ रुपये)
7	दरभंगा	12000000	22000000	0	0	0	340000000	0	340000000	(तीन करोड़ चालीस लाख रुपये)
योग		640000000	948000000	4000000	5000000	8000000	1605000000	276000	1607760000	(सोनेह करोड़ सात लाख चित्तर हजार रुपये)
		(छह करोड़ चालीस लाख रुपये)	(नौ करोड़ अड़तालीस लाख रुपये)	(चार लाख रुपये)	(पांच लाख रुपये)	(आठ लाख रुपये)	(सोनेह करोड़ पांच लाख रुपये)	(दो लाख चित्तर हजार रुपये)		


(राधा किशोर झा)
सरकार के विशेष सचिव